श्री आदित्य नारायण पाण्डेय, माननीय स0वि0प0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या– 17

आई0आर0–01 से उद्भूत आश्वासन सं0–01/190 का अद्यतन प्रतिवेदन

क्र0	प्रश्न	आश्वासन	अद्यतन प्रतिवेदन
(क)	क्या यह सही है कि गोपालगंज जिले में जादोपुर मंगलपुर महासेतु से अहिरौली दान उत्तर प्रदेश के सीमा तक सरकार द्वारा वर्ष 2017–2018 में गाइड बांध का निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जिन किसानों की भूमि इसमें उपयोग में ली गई है उसे बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में संबंधित किसानों की भूमि बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत प्राप्त करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही उक्त बांध से संबंधित किसानों को मुआवजा की राशि का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जायेगा।	वस्तुस्थिति यह है कि जल निस्सरण प्रमंडल, सिवान अन्तर्गत अहिरौलीदान (यू0 पी0) से बेतिया – गोपालगंज पुल के दायॉ गाईड बांध तक निर्मित तटबंध में उपयोग में लाई गई रैयती भूमि के भुगतान की कार्रवाई बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014 के तहत की जा रही है। इस कार्य हेतु उपयोग में लायी गयी कुल 58.67 एकड़ रैयती भूमि के विरूद्ध 39.424 एकड़ भूमि (274 अदद रैयत) का डीड संपादित किया जा चुका है एवं कुल 1848.269 लाख रूपये का भुगतान रैयतों को किया जा चुका है। शेष रैयतों के दस्तावेज सत्यापन के उपरांत लीज डीड संपादित कराकर शेष रैयतों के भुगतान की प्रक्रिया की जा रही है। इस हेतु प्रमंडल में आवंटन उपलब्ध है। बचे हुए 130 अदद् रैयतों (19.246 एकड़) में से 119 रैयतों (17.518 एकड़) द्वारा भू–स्वामित्व से संबंधित अपूर्ण अभिलेख दिये जाने/भूमि विवादित होने के कारण भुगतान लंबित है तथा 11 रैयतों (1.728 एकड़) में आंशिक भुगतान किया जा चुका है, जिनका षूर्ण भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।
(ख)	क्या यह सही है कि उक्त बांध के निर्माण में लगभग 298 किसानों कि कृषि योग्य भूमि अधिग्रहण किया गया, लेकिन किसानों के भूमि का मुआवजा की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है जिससे किसानों कि आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है जबकि सरकार द्वारा शीघ्र भुगतान का प्रावधान है;		
(ग)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक गाइड बांध निर्माण में अधिग्रहण हुये भूमि के मुआवजा की राशि किसानों को भुगतान करना चाहती है, यदि हां तो कब तक नहीं तो क्यों?		

01/10/2026

(A.S.)

a9

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 29/सं0का0–06–16/2026 5820 पटना, दिनांकः– 06/10/2026

प्रतिलिपिः– 1. अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना को आश्वासन सं०–01/190 एवं उनके पत्रांक–1385 (6) दिनांक–10.09.2026 एवं पत्रांक–55/19–218 (6) दिनांक–28.06.2019 के आलोक में उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मोनिटरिंग, पटना/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06-10-2026

(अरुण कुमार पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 29/सं0का0–06–16/2026 5820 पटना, दिनांकः– 06/10/2026

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06-10-2026

सरकार के अवर सचिव।